



उत्तर प्रदेश विषय प्रश्नपत्र बोर्ड
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या : 1344-मा०सं०-01 / वि०उ०नि०लि० / 2017-21-मा०सं०-01 / 2007

दिनांक : २५ अप्रैल, 2017

कार्यालय ज्ञाप

प्रशिक्षणोपरान्त अन्तिम संविलीनीकरण परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर उत्पादन निगम लि० के नियुक्ति आदेश सं० 2320-मा०सं०-01 / वि०उ०नि०लि० / 2015 दिनांक 07.08.2015 के सन्दर्भ में तथा उसमें वर्णित सेवा शर्तों के अधीन नियुक्त अधोलिखित लेखाधिकारी (प्रशिक्षुओं) को एतद्वारा उनके नाम के समुख स्तम्भ -6 में उल्लिखित तिथि से स्थानापन एवम् अस्थाई 'लेखाधिकारी' के पद पर नियुक्त किया जाता है तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के समुख स्तम्भ-5 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्रम सं०	नाम एवं अनुक्रमांक (सर्वश्री)	विधा	वर्तमान तैनाती स्थल	नव तैनाती स्थल	नियमिति किये जाने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	दीपक कुमार (50101112)	लेखा	मुख्यालय, लखनऊ	मुख्यालय, लखनऊ	19.09.2016
2	गोविंद कुमार (50101126)	लेखा	हरदुआगंज ताप विद्युत गृह	हरदुआगंज ताप विद्युत गृह	19.09.2016
3	सुश्री ख्याति सिंह (50101037)	लेखा	अनपरा ताप विद्युत गृह	अनपरा ताप विद्युत गृह	19.09.2016
4	संजय कुमार (50101059)	लेखा	अनपरा ताप विद्युत गृह	अनपरा ताप विद्युत गृह	19.09.2016
5	योगेश कुमार शर्मा (50101133)	लेखा	पनकी ताप विद्युत गृह	पनकी ताप विद्युत गृह	19.09.2016
6	अरीब आकिफ मेहताब (50101107)	लेखा	हरदुआगंज ताप विद्युत गृह	हरदुआगंज ताप विद्युत गृह	19.09.2016
7	सुनील कुमार मिश्रा (50101052)	लेखा	मुख्यालय, लखनऊ	मुख्यालय, लखनऊ	03.11.2016

2— उपरोक्त लेखाधिकारियों पर उत्पादन निगम लि० में प्रचलित तथा भविष्य में समय-समय पर जारी किये जाने वाले सेवा नियम, विनियम, प्रशासनिक आदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फण्ड से सम्बन्धित आदेश लागू होंगे। ज्ञातव्य हो कि उत्पादन निगम की सेवाएँ पेंशनरी नहीं हैं, अतः सेवानिवृत्ति पर किसी तरह की पेंशन अनुमन्य नहीं है। पूर्व सेवा योजक के अधीन सेवाएँ पेंशनरी होने की स्थिति में भी निगम में पेंशन अनुमन्य नहीं होगी।

3— उपरोक्त नियुक्तियाँ सम्बन्धित लेखाधिकारियों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन तथा स्वास्थ्य उपयुक्तता संतोषजनक पाये जाने के प्रतिबन्ध के अधीन की गई है। चरित्र एवं पूर्ववृत्त के असंतोषजनक पाये जाने की दशा में सहायक अभियन्ता पद पर नियुक्ति किसी भी समय बिना कारण बताये हुए अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

4— यह नियुक्तियाँ अस्थायी हैं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के सम्बन्ध में प्रमाण—पत्र के उचित माध्यम से सत्यापन किये जाने की शर्त पर की जाती है। यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग का दावा झूठा पाया जाता है तो सम्बन्धित लेखाधिकारियों की सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी और झूठे प्रमाण—पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता के उप बन्धों के अन्तर्गत आगे की कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जायेगी।

5— यदि किसी भी समय चिकित्सा सम्बन्धी प्रमाण—पत्र अथवा शैक्षिक योग्यता, अनुभव एवं अन्य कोई प्रमाण—पत्र झूठा/फर्जी पाया जाता है तो सेवायें बिना कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।


विशाल चौहान
प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 1344 (1) मा०सं०-०१/वि०उ०नि०लि०/2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2— निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/तकनीकी/वित्त/परियोजना एवं वाणिज्य), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर/निजी सचिव।
- 3— मुख्य अभियन्ता, अनपरा/हरदुआगंज/पनकी तापीय विद्युत परियोजना, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, अनपरा (सोनभद्र)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय ज्ञाप की छायाप्रति कराकर सम्बन्धित लेखाधिकारियों को अपने स्तर से हस्तगत कराने का कष्ट करें।
- 4— मुख्य अभियन्ता, तापीय परिचालन/ईधन/वाणिज्य/पीपीएमएम/आर० एण्ड एम०, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 5— मुख्य अभियन्ता (जानपद—नव परियोजनाएँ), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 6— अध्यक्ष, उ०प्र०राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 7— मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 8— कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 9— महाप्रबन्धक (लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 10— मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ—226010.
- 11— उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता, (मा०सं०-०१/०२/०३/०४/०५/०६)/रिफॉर्म/तापीय परिचालन इकाई/टांडा वाइंडिंग सेल/प्रशिक्षण, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 12— मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), कैश प्रबन्धन इकाई उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 13— लेखाधिकारी (वित्त एवं लेखा), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 14— अधिशासी अभियन्ता (डेटाबेस), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 15— अनुभाग अधिकारी (मा०सं०-०६), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 16— सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाईल।

आज्ञा से,


(सरिता श्रीवास्तव)
उप सचिव (मा०सं०-०१)